छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

जनवरी—मार्च, 2019 सत्र

वित्तीय वर्ष 2019—2020 के लिये अनुदानों की मांगों पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या— 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27, 17

मांग संख्या— 36, 21, 10, 39

मांग संख्या— 11

मांग संख्या— 22, 69, 81, 18

मांग संख्या— 55, 34

मांग संख्या— 9, 8, 35, 58

मांग संख्या— 20, 56

मांग संख्या— 47, 44, 46, 43

मांग संख्या— 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65 से संबंधित

भाग - दो

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	**डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम**	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	**3 घंटे**
		33	आदिम जाति कल्याण	
		41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	
		42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		64	अनुसूचित जाति उपयोजना	
		66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	
		68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	
		15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		27	स्कूल शिक्षा	
		17	सहकारिता	
2.	**श्री मोहम्मद अकबर**	36	परिवहन	**3 घंटे**
		21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	
		10	वन	
		39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	
3.	**श्री कवासी लखमा**	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	**3 घंटे**
4.	**डॉ. शिवकुमार डहरिया**	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	**3 घंटे**
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		18	श्रम	

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
5.	**श्रीमती अनिला भेंडिया**	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	**3 घंटे**
		34	समाज कल्याण	
6.	**श्री जयसिंह अग्रवाल**	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	**3 घंटे**
		8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	
		35	पुनर्वास	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
7.	**श्री गुरु रूद्र कुमार**	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	**3 घंटे**
		56	ग्रामोद्योग	
8.	**श्री उमेश पटेल**	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	**3 घंटे**
		44	उच्च शिक्षा	
		46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	
		43	खेल और युवक कल्याण	
9.	**श्री भूपेश बघेल**	1	सामान्य प्रशासन	**3 घंटे**
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
		65	विमानन विभाग	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के जनवरी–मार्च, 2019 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2019—2020 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग — दो में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
3. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
8. श्री अजीत जोगी, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
11. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
12. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
16. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

मांग संख्या– 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 2,84,07,47,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –50

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को क्रियान्वयन में भागीदार बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में आवंटन समय में नहीं होता है इसलिये सभी योजनाएं लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं।

(3) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा पोषाहार कार्यक्रम को पर्याप्त आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(4) सभी तरह की संस्थाओं में कटौती की गई है।

(5) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन सही नहीं किया जा रहा है।

(6) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पंचायतों को आवंटन के बावजूद उस क्षेत्र के रहवासियों के जीवन स्तर में और आर्थिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं आया है।

(7) ''पेसा'' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त राशि का अभाव है।

(8) उपयोजना क्षेत्र में राशि आवंटन उचित समय पर नहीं किया गया है।

(9) अनुसूचित क्षेत्रों में दूषित पेयजल की समस्या के निवारण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 33

आदिम जाति कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 39,96,72,54,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिल्हा विधानसभा के देव किरारी में हायर सेकेण्डरी स्कूल के उन्नयन का प्रावधान नहीं है।

(2) बिल्हा विधानसभा के पड़माईन में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(3) बिल्हा विधानसभा के सिलतरा में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) बिल्हा विधानसभा के पथरगड़ी में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(5) बिल्हा विधानसभा के चुनचुनिया में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(6) बिल्हा विधानसभा के मुरकुटा में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) बिल्हा विधानसभा के बेलकुकरी में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(8) बिल्हा विधानसभा के हरदीकला में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(9) बिल्हा विधानसभा के दागौरी में आदिवासी छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

फजी जाति प्रमाण धारी दोषी लोगों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार जिले के समस्त शासकीय छात्रावासों में सुविधा बढ़ाये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अल्प संख्यकों के कल्याण के लिये कोई प्रभावी योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सहायता राशि का पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जनजाति बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में इंदिरा गांधी अनुसूचित जनताति वि.ख. अमरकंटक से संबंधित नये अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) विशेष पिछ़ड़ी जनजाति बैगा आदिवासी वर्ग के 10 वीं–12 वीं उत्तीर्ण युवक–युवतियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने का उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को निश्चित समय पर छात्रवृत्ति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के आदिवासी आश्रमों/छात्रावासों में चिकित्सा सुविधा पर्याप्त उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(5) आदिवासी छात्रावासों में गुणवत्तायुक्त अच्छे भोजन की उपलब्धता कराने का उल्लेख नहीं है।

(6) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शुद्ध पेयजल एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(7) आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों में रहने वाले छात्र–छात्राओं को गर्म कपड़े, स्वेटर कोट देने का प्रावधान नहीं है।

(8) विशेष पिछ़ड़ी जनजाति बैगा बच्चों एवं अन्य आदिवासी बच्चों को विशेष कोचिंग देने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छात्रावासों एवं आश्रमों में बच्चों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए पर्याप्त उपाय का उल्लेख नहीं है।

(2) बैगा जनजातियों के सामाजिक/आर्थिक उत्थान का उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, खेल सुविधा एवं अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मॉडल छात्रावासों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) आदिवासी विकास परियोजना गौरेला में संचालित योजनाओं हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(5) आदिवासी कन्या छात्रावासों में निवासरत छात्राओं की पूर्ण सुरक्षा के समुचित उपाय का उल्लेख नहीं है।

(6) जनजातीय बाहुल्य गांवों के सर्वांगीण विकास का उल्लेख नहीं है।

(7) आदिवासी छात्रावासों में गुणवत्तायुक्त भोजन का उल्लेख नहीं है।

(8) भवनविहीन समस्त छात्रावासों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) जनजातीय वर्ग की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उपाय का उल्लेख नहीं है।

(10) बैकलॉग पदों पर नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

(11) जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं को यू.पी.एस.सी. कोचिंग दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(12) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।

(13) आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई ठोस कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(14) प्री. मेट्रिक कन्या छात्रावास ग्राम सकोला वि.ख. पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर में व्याप्त अव्यवस्था पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

(15) छात्रावासों एवं आश्रमों में खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(16) छात्रावासों एवं आश्रमों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के उपय का उल्लेख नहीं है।

(17) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित जर्जर छात्रावास एवं आश्रम भवन की मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जर्जर आश्रम एवं छात्रावासों के भवन रख रखाव एवं संधारण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जन जातीय बच्चों के लिये नये आश्रम एवं छात्रावास का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मतदेय राशि **रूपये 1,75,46,53,46,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जनजाति (भाटापारा) क्षेत्र में कोई छात्रावास का प्रावधान नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जनजाति के कल्याण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खनिज क्षेत्र विकास निधि के दुरूपयोग की जांच का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान और शिक्षा में पर्याप्त आवंटन का प्रावधान नहीं है।

(4) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विभाग का सही डाटा उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भैंस प्रजाति के संर्वधन के लिये पर्याप्त राशि के आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(7) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अच्छे स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का कोई प्रावधान नहीं है।

(8) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के छात्रों को खेलकूद के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(9) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत करने का उल्लेख नहीं है।

(10) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वन संरक्षण और विकास का उल्लेख नहीं है।

(11) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के बारे में काई उल्लेख नहीं है।

(12) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों के सभी ऋण माफी का उल्लेख नहीं है।

(14) आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजना पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।

(15) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के बारे में कोई स्पष्ट योजना का प्रावधान नहीं है।

(16) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की संस्थाओं को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

(17) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना के अभाव का उल्लेख नहीं है।

(18) सोंढूर जलाशय पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पूरी क्षमता तक पानी भरने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

(19) अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गंदे पेयजल से जनक्षति रोकने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(20) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में पर्याप्त राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है।

(21) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में गैर अधिसूचित योजनाओं के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(22) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नीली क्रांति के प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(23) अनुसूचित जनजाति उपयोजना के द्वारा अनुदान/आवंटन के बावजूद इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की बदहाली का उल्लेख नहीं है।

(24) विशेष पोषाहार कार्यक्रमों के सही ढंग से निष्पादान का उल्लेख नहीं है।

(25) संचार क्रांतियोजना के मोबाईल वितरण को बंद किये जाने के कारणों का उल्लेख नहीं है।

(26) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वृद्धों की उचित देखभाल के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(27) सहकारिता विभाग को आवंटित बजट एवं बजट पश्चात् पूंजी व्यय के परिणामों का अध्ययन नहीं किया गया है।

(28) अनुसूचित जनजातीय लोक स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।

(29) कुटीर उद्योगों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिये ग्रामाद्योग एवं लघु उद्योगों के प्रशिक्षण के लिये राशि का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल

मतदेय राशि **रूपये 9,98,72,50,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पहुंच विहीन एवं दुर्गम अनुसूचित क्षेत्रों के लिये सड़कें एवं पुल–पुलिया निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में अधोसंरचना राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 49

अनुसूचित जाति कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 5,84,70,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव के लिये कोई प्रभावी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजीत जोगी सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) राष्ट्रपति दत्तक पुत्र बैगा, पहाड़ी कोरवा इत्यादि विशेष पिछ़ड़ी जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

   (2) विशेष पिछ़ड़ी जनजातियों के उत्थान का उल्लेख नहीं है।

   (3) वनवासियों एवं परंपरागत् आदिवासियों की संस्कृति की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।

   (4) आदिवासियों की भूमि को संरक्षित करने का उल्लेख नहीं है।

   (5) शारीरिक शोषण से पीड़ित आदिवासी महिलाओं की आर्थिक सहायता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 53

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 56,21,89,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) समय पर संस्थाओं को अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) नगरीय निकायों को वित्तीय अंतरण की पारदर्शी व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) शहरी विकास को दी गयी मदद का अपेक्षित परिणाम का उल्लेख नहीं है।

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अनुसूचित जनजाति अंतर्गत नगरीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 64

अनुसूचित जाति उपयोजना

मतदेय राशि **रूपये 61,18,40,55,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के आवश्यकता अनुरूप योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में नकली खाद बीज वितरण रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित समाज में उच्च शिक्षा में अपेक्षाकृत वृद्धि करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) अनुसूचित जाति उपयोजना के गांव में योजना के लक्ष्यों/प्रभाव के सोशल ऑडिट कराने का उल्लेख नहीं है।

(5) अनुसूचित जाति के वर्गों को योजना के अनुरूप संचार क्रांति योजना का लाभ दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(6) अनुसूचित.क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना की कार्ययोजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(7) अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतर जगहों पर एलोपेथी डॉक्टर के खाली पदों को भरने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(8) अनुसूचित क्षेत्र में विभाग की किसी भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) अनुसूचित जाति क्षेत्र में पेयजल योजना के आपूर्ति में अव्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) अनुसूचित क्षेत्रों में मत्स्य सहकारी समितियों को नियमानुसार जलाशय आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(11) अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् आवंटित राशि खेल और युवक कल्याण विभाग की योजना में अपेक्षित परिणाम की समीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) धमतरी जिला में किसी भी नयी योजना के लिये राशि आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(13) अनुसूचित क्षेत्र के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विषय सहित अन्य अधोसंरचनाओं के अभाव का उल्लेख नहीं है।

(14) अनुदान देने की कोई भी पारदर्शी व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) अनुसूचित क्षेत्रों में बजट कटौती के कारण बंद हुए सभी लघु और बड़े निर्माण कार्य प्रारंभ करने का काई उल्लेख नहीं है।

(16) अनुसूचित जाति की कला, संस्कृति शिक्षा पर प्रभावी व्यय का प्रावधान नहीं है।

(17) धमतरी जिला के मगरलोड विकासखंड के सिंगपुर गांव में नये थाने खोलने का प्रावधान नहीं है।

(18) सभी तरह के विद्युत देयकों के राहत के लिये सब्सिडी हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(19) प्रौढ़ शिक्षा के लिये कोई प्रभावी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

(20) पशुचिकित्सा और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का कोई प्रावधान नहीं है।

(21) प्रदेश के परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(22) आदिवासी एवं महिला एवं ग्रामीण खेलकूद के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(23) आदिवासी क्षेत्रों में सस्ता सुलभ, त्वरित न्याय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(24) अनुसूचित क्षेत्र में वन, वन्य जीवों के संरक्षण और उनके अवैध शिकार रोकने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(25) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिये पर्याप्त राशि के आवंटन का प्रावधान नहीं है।

(26) ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के निरंतर क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(27) भंडारण के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(28) अनुसूचित क्ष़ेत्र में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(29) अनुसूचित उपयोजना क्षेत्र के गांव में सुदृढ़ चिकित्सा के अभाव को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 2,66,59,20,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पिछ़ड़े वर्ग के कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं है।

(2) पिछ़ड़ा वर्ग के कल्याण के लिये कोई विशेष योजना संचालित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछ़ड़ा वर्ग के विभाग लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन

मतदेय राशि **रूपये 1,32,27,24,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में भवन एवं अन्य अधोसंरचना के पर्याप्त आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(2) पशुपालन में पर्याप्त पूंजी परिव्यय और उससे समाज में हुए बदलाव का उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में आवश्यकता अनुरूप भवन निर्माण के लिये पर्याप्त राशि आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(4) अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विकास हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(5) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भवन की पर्याप्त उपलब्धता का उल्लेख नहीं है।

(6) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास का उल्लेख नहीं है।

(7) अनुसूचित जनजाति उपयोजना के निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(8) अनुसूचित क्षेत्र में राजस्व विभाग के भवन विहीन कार्यालयों का कोई प्रावधान नहीं है।

(9) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना पर ध्यान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) जनजाति क्षेत्रों के लिये भवन निर्माण के लिये पर्याप्त राशि आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(11) अनुसूचित क्षेत्रों के कला, संस्कृति, खेल के लिए पर्याप्त राशि आवंटन का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 15

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 7,36,56,88,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में पंचायतों को समय पर विभागीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में मछुवारा आवास बनाये जाने के लिये राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में जनपद विकास निधि में बढ़ोत्तरी का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में "पेसा" कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में गौण खनिजों से प्राप्त राशि के वितरण और उपयोग स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के लिये पर्याप्त राशि के आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(7) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में क्रियान्वयन एवं भागीदारी की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में पंचायतों को आदिवासी विकास परियोजना गौरेला से किसी भी प्रकार की सहायता का उल्लेख नहीं है।

(2) आदिवासी विकास परियोजना गौरेला में पूर्व में प्रदाय किये गये सहायता राशि में हुए भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जनजाति उपयोजनांतर्गत पर्याप्त राशि की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 83
अनुसूचित जनजाति उपयोजन के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 83,02,05,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत नगरीय निकायों को पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मांग संख्या से प्राप्त राशि की भ्रष्टाचार की जांच का उल्लेख नहीं है।

   (2) शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय में अपेक्षित परिणाम का उल्लेख नहीं है।

   (3) अनुसूचित क्षेत्रों के नगरीय निकायों में सही समय पर राशि आवंटन का उल्लेख नहीं है।

   (4) अनुसूचित क्षेत्रों में राशि के दुरूपयोग रोकने के लिए व्यवस्था बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 27

स्कूल शिक्षा

मतदेय राशि **रूपये 42,77,05,17,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 20

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के पथरिया विकासखंड के देवरीमुण्डा हाईस्कूल के नवीन भवन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के कोरमी हाईस्कूल के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(3) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के मुरकुट्टा हायर सेकेण्डरी स्कूल के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के धौराभाठा हायर सेकेण्डरी स्कूल के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(5) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के बिल्हा विकासखंड के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन तथा ग्राम कौहरोइ हेतु स्कूल का उल्लेख नहीं है।

(6) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के बिल्हा विकासखंड के धौराभाठा के हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(7) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बिटकुली की हायर सेकेण्डरी स्कूल के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(8) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के गोडीह की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(9) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेण्ड्री की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छात्राओं को नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(2) स्कूल तथा कॉलेज के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(3) स्कूलों में पी.टी.आई. (खेल शिक्षक) की भर्ती कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में योग शिक्षकों की कमी को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

(5) स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्ययन अनिवार्य करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) संस्कृत शिक्षा, भाषा विकास के लिये नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्राथमिक शिक्षा के लिय पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला–जांजगीर–चांपा के ग्रामों में स्कूलों के व्यवस्था सुधार हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मरवाही विधान सभा क्षेत्र में संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(2) जनभागीदारी से संचालित कन्या हाईस्कूल सरकारी पारा पेण्ड्रा में सेटअप लागू करने का उल्लेख नहीं है।

(3) सरस्वती सायकल वितरण योजनांतर्गत घटिया सायकल वितरण करने पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

(4) मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन एवं बिजली बिल की राशि पटाने की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश की सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश की सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

(8) स्कूलों में कार्यरत स्वीपरों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(9) शिक्षण सत्र के प्रारंभ होते ही स्कूली छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तक प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(10) मल्टी परपज़ हायर सेकेण्डरी स्कूल पेण्ड्रा के भवन के रख–रखाव के लिये आरसीसी छत ढलाई कराने का उल्लेख नहीं है।

(11) छात्र–छात्राओं के गणवेश की गुणवत्ता के संबंध में उल्लेख नहीं है।

(12) छात्र–छात्राओं को समयसीमा में छात्रवृत्ति दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(13) स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(14) शिक्षा कर्मियों के संविलियन करने एवं वेतन विसंगति दूर करने का उल्लेख नहीं है।

(15) जर्जर पुराने स्कूल भवनों के स्थान पर नये भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(16) प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को विशेष प्रोत्साहित करने का उल्लेख नहीं है।

(17) स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों को सिर्फ 300/– रूपये बढ़ाया गया है। उन्हें नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोरमी विधान सभा क्षेत्र के जिला–मुंगेली के ग्राम–कोतरी की हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान में स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(2) लोरमी विधान सभा क्षेत्र के जिला–मुंगेली के ग्राम–उरईकछार में नवीन पूर्व माध्यमिक स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) लोरमी विधान सभा क्षेत्र के जिला–मुंगेली के ग्राम–खपरीकला की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाऊंड्रीवाल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भाटापारा में किसी भी स्कूल उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के समस्त शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने एवं उनकी वेतन विसंगति दूर करने का उल्लेख नहीं है।

(2) स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के नियमितीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) कोटा एवं गौरेला विकासखंड की स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद पर पदस्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

(4) दो पालियों में संचालित होने वाली कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेण्ड्रा के नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(5) जनपद कन्या पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(6) जनपद कन्या पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(7) जनभागीदारी से संचालित कन्या हाईस्कूल सरकारी पारा में सेटअप स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री सौरभ सिंह., सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में ग्राम–जावलपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में ग्राम–डोंगरी में हाईस्कूल स्कूल का भवन भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम–अर्जुनी में हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में ग्राम–नगंवा में हाईस्कूल स्कूल का भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(5) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम–चंगोरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

(6) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम–अकलतरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(7) जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में ग्राम–घठादेई में हाई स्कूल के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(8) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम–पंडरिया में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(9) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम–तरौद में हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(10) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम–गतवा में हाईस्कूल का भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत मोपका हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत सेलर के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत कर्रा के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत धैसा कन्या हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कुर्रा हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–झालरौंदा में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–परसदा, विकासखंड जैजैपुर में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम–लखाली, विकासखंड बम्हनीडीह में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम–भातमाहुल, विकासखंड जैजैपुर में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम–भदोरा, विकासखंड मालखरौदा में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम–देवरीमठ, विकासखंड जैजैपुर में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(7) ग्राम–बड़ेरेलखुर्द, विकासखंड जैजैपुर में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(8) ग्राम–बखूट, विकासखंड बम्हनीडीह में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(9) ग्राम–करनौद, विकासखंड बम्हनीडीह में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(10) ग्राम–रायपुरा, विकासखंड जैजैपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(11) ग्राम–भोथीडीह, विकासखंड जैजैपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(12) ग्राम–बेलाकला, विकासखंड जैजैपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(13) ग्राम–कांशीगढ़, विकासखंड जैजैपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(14) ग्राम–ओडेकेरा, विकासखंड जैजैपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(15) ग्राम–कपिस्दा, विकासखंड बम्हनीडीह में हाईस्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के रायपुर जिला अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरोरा में अहाता निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रिसदा में हाईस्कूल भवन एवं अहाता निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के अभाव से शिक्षण कार्य प्रभावित हो है शिक्षकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 17

सहकारिता

मतदेय राशि **रूपये 9,32,34,11,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 15

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

बड़रा (द) में सहकारी बैंक खोलने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से राष्ट्रीय कृषि बीमा के नाम पर वसूली गई राशि की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) आदिम जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों से वसूली गई बीमा की राशि की वापसी का काई उल्लेख नहीं है।

(3) सहकारी शक्कर कारखाने में घट रहे उत्पादन को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(4) पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही जैसे अनुसूचित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और गन्ने के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(5) राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणी किसानों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

(6) साहूकारों के चंगुल में फंसे किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(7) सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ किये जाने के वादे को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

(8) ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक के अलावा अन्य बैंकों से कर्ज लिये किसानों की कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. में ग्राम अमलीपाली में धान खरीदी केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा में ग्राम बुरगहन में धान खरीदी केन्द्र के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. के ग्राम आरसमेटा में धान खरीदी केन्द्र खोलने के लिये काई प्रावधान नहीं है।

(4) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. के ग्राम कापने में शक्कर कारखाना खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भाटापारा एवं सिमगा सहकारी संस्थाओं के किसानों का कर्जा माफी का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों का पूरा ऋण माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी वि0स0 क्षेत्र के अंतर्गत सोसायटियों में धान फड़ बनाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विगत् 2 वर्षों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई धान के बोनस प्रावधान नहीं है।

8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोरमी जिला मुंगेली में नये शक्कर कारखाना प्रारंभ करने वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–डोंगरियाकला धान खरीदी केन्द्र का उपकेन्द्र–ग्राम–खुड़िया वि.ख. लोरमी जिला मुंगेली में प्रारंभ करने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

9. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धान खरीदी में अव्यवस्था तथा कीमत मिलने में अव्यवस्था दूर करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

10. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पिछले तीन वर्षों के धान का बोनस दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बारदाने की कमी के कारण धान खरीदी बंद रहने की अवधि बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) जिन किसानों का कर्ज माफ किया गया है उन किसानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 36

परिवहन

मतदेय राशि **रूपये 73,07,26,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 08

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सड़क सुरक्षा के लिए कोई नीति निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) मोटर व्हीकल से हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) परिवहन से हो रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(4) भारी वाहन के चालन हेतु प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में गुणवत्ता लायसेंस प्रथा बंद करने या एक बार में ही हमेशा के लिए जारी किए जाने हेतु उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छोटे शहरों में सिटी बस का बजट में प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

4. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

परिवहन के डिजीटलाईजेशन हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

परिवहन हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार से सिमगा सड़क मार्ग पर जिले में सर्वाधिक दुर्घटना होने के बावजूद भी दुर्घटना की रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला परिवहन कार्यालय धमतरी के भवन निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 05,65,95,30,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 32

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पॉवर प्लांटोकं के द्वारा उत्सर्जित राखड़ (ऐश) के निष्पादन का उल्लेख नहीं है।

(2) रायपुर शहर के बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के निर्माण एवं प्रदूषण के नियंत्रण करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शहरी एवं ग्रामीण आवास की समस्या के निवारण का उल्लेख नहीं है।

(2) पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के प्रत्येक ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष चरणबद्ध तरीके से एक–एक तालाबों की सफाई करके पर्यावरण सुधार करने हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(2) नवीन विधानसभा भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) नक्सल प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

(6) उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(7) पर्यावरण संरक्षण के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ईमामी सीमेंट प्रायवेट लिमिटेड के लगातार वायु प्रदूषण से ढ़ाबाडीह जंगल के अस्तित्व खतरे में है जंगल के संरक्षण हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 10

वन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 10,85,05,99,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 10

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) हाथी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य का उल्लेख नहीं है।

(2) वृक्षारोपण हेतु स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

(3) गजराज योजना हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

2. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वृक्षारोपण के लंबित भुगतान एवं हाथियों के आतंक से हो रहे नुकसान का मुआवजा प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनों की सुरक्षा हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि आबंटन का उल्लेख नहीं है।

(2) पर्यावरण वानिकी हेतु पर्याप्त आबंटन का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में वनौषधी से इलाज करने वाले वैद्यों के विकास हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) वन क्षेत्र में प्रवाहित नदियों के बहाव क्षेत्र में स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) वनक्षेत्र में करगंरा से सालेधोरी पहुंच मार्ग हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(4) वन क्षेत्र आमानाका से केवची मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम धनपुर पर्यटक स्थल के पाडंव गुफा के निकास द्वारा निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) वन क्षेत्र में स्थित समूदलई पर्यटक स्थल के विकास हेतु उल्लेख नहीं है।

(7) वन क्षेत्र में माई के मड़वा पर्यटन स्थल के विकास हेतु उल्लेख नहीं है।

(8) मरवाही वन क्षेत्र के जितदा, खरडी आदी ग्रामों में नील गाय से प्रभावित एवं उनके संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

(9) वन क्षेत्र के ग्राम जिवदा से वहदी ओरखी मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) वन क्षेत्र बस्ती से डाडजमढ़ी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) वन क्षेत्र में स्थापित धार्मिक सीलों के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(12) हाथी प्रभावित क्षेत्र में प्रभावितों के पुर्नवास का उल्लेख नहीं है।

(13) मरवाही में स्वीकृत जामवंत परियोजना हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(14) विलमगढ़ करंगदा वन क्षेत्र पर्यटन स्थल के विकास का उल्लेख नहीं है।

5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अचानकमार टाइगर रिजर्व स्थित वनग्रामों में रोजगार मूलक कार्यो की स्वीकृति हेतु वित्त का उल्लेख नहीं है।

(2) अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली/बिलासपुर जिले के गावों को विस्थापन करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) अचानकमार टाइगर रिजर्व जिला मुंगेली के अंतर्गत स्थित 30 गांवों में गंभीर पेयजल संकट के निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(4) लोरमी, खुडिया एवं अचानकमार टाइगर रिजर्व में आग लगने से वनों को बचाने एवं अवैध शिकार को रोकने हेतु वित्तीय प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वर्ष 2005 से पहले से काबीज पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टा प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वन क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर –चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में कटरा वन क्षेत्र कुटीर के मरम्मत का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बारनवापारा अम्यारण्य जिला बलौदाबाजार को उच्च विश्वस्तरीय अभ्यारण्य बनाए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 27,45,45,90,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 29

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम चांवल प्रतिमाह 1 रूपये की दर पर बी.पी.एल. परिवार को तेल नमक चिनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को कम दर पर चांवल उपलब्ध कराने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) बी.पी.एल. और ए.पी.एल गरीब परिवारों के लिए राशि के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(4) मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती दर पर चांवल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नये राशन कार्ड के निर्धारण एवं जांच तथा वितरण का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शादीशुदा युवक को अलग परिवार मानकर नया राशन कार्ड तत्काल बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) इनकम टैक्स पटाने वाले परिवारों को छोड़कर शेष परिवारों को 35 किलो चांवल दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) पी.डी.एस. सिस्टम में कालाबाजारी रोकने का उल्लेख नहीं है।

(4) नये राशन कार्ड सहज एवं सरल तरीके से बनाने हेतु उल्लेख नहीं है।

6. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पूर्व के वर्षों में काटे गये राशन कार्ड को पुनः प्रचलन में लाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 11

वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग से सबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये– 3,41,38,81,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –11

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मंदी की मार झेल रहे व्यपारियों व छोटे मझोले उद्योगों को राहत देने का उल्लेख नहीं है।

(2) लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छत्तीसगढ़ के लिये लाभकारी औद्योगिक शिक्षा तथा अनुसंधान के लिये पर्याप्त राशि की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिये कोई बात का उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली जिला में बड़े उद्योग लगाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अंजनी में स्थापित उद्योगों को सहायक उद्यम घोषित किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है पुनः लागू करने का उल्लेख नहीं है।

(2) क्षेत्र में संचालित अंजनी औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है जिसे बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुपात से राज्य में औद्योगिक वृद्धि कम है जिसे बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(5) राष्ट्रीय जी.डी.पी. से राज्य की जी.डी.पी. कम है जिसे बढ़ाने के समुचित उपाय का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के बेरोजगार युवकों के लिये नये उद्योग स्थापित करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रत्येक विकासखण्ड में फुड पार्क का उल्लेख नहीं है।

(2) भाटापारा में उद्योग हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) औद्योगिक क्षेत्र अंजनी (गौरेला) में उद्योग धंधा को अधिक स्थापित करने तथा प्रोत्साहित करने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये उद्योगपतियों को आकर्षित करने एसजीएसटी को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) राष्ट्रीय औसत से राज्य में औद्योगिक विकास काफी पीछे है, जिसे समतुल्य लाने के ठोस उपाय का उल्लेख नहीं है।

(4) बेरोजगारो को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कोटा, रतनपुर, गौरेला, पेण्ड्रा में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चांपा जिले के उद्योग एवं औद्यागिक क्षेत्र के विकास के लिये बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के सभी निजी सीमेंट प्लाटों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाए जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 22

नगरीय प्रभाासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय

मतदेय राशि **रूपये– 22,78,40,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सम्पत्ति कर में शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत कम करने का उल्लेख नहीं है।

(2) रायपुर शहर के शारदा चौक–तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।

(3) रायपुर शहर के स्थित तालाबों के संरक्षण–संवर्धन का उल्लेख नहीं है।

(4) रायपुर नगर निगम के सदर बाजार,नयापारा के कालीपारा, ब्राम्हण पारा, पुरानीबस्ती, महामाई पारा क्षेत्र के नल संकट का उल्लेख नहीं है।

(5) रायपुर नगर निगम सीमा में हजारों नियमितीकरण न होने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसी प्रकार की परामर्श सेवाएं प्रभावी नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मरवाही को नगर पंचायत बनाए जाने का कोई का उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगरीय प्रशासन एवं विकास में विधानसभा भाटापारा के विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वार्ड क्रमांक मुस्लिम कब्रिस्तान में प्रतिक्षालय निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) सर्व समाज मंगल भवन हेतु नगर पंचायत पेण्ड्रा को भूमि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(3) वार्ड क्रमांक 04 गढ़ी तिराहा एवं 13 दुर्गा चौक नगर पंचायत में सौदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

(4) वार्ड क्रमांक 15 नगर पंचायत पेण्ड्रा में गौरेल मोड़ का सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

(5) नगर पंचायत पेण्ड्रा शिशु मंदिर तिराहा वार्ड 12 का सौदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

(6) नगर पंचायत पेण्ड्रा मण्डी रोड तिराहे के सौदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

(7) वार्ड क्रमांक 8 पेण्ड्रा में मुक्तिधाम की बाउंड्रीवाल एवं सौदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

(8) मुख्य मार्ग कृपाराम पेट्रोल पंप से एफ सी आई गोदाम तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) वार्ड क्रमांक 12 पेण्ड्रा में उद्यान निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) नगर पंचायत पेण्ड्रा की 4 पानी टंकियों में जल भराव हेतु सम्पवेल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) बिलासुपर शहर में निर्माणाधीन सिवरेज निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समायावधि का उल्लेख नहीं है।

(12) नगरीय क्षेत्रों में निवासरत गरीबों के पक्के आवास पूर्ण करने की समयावधि का उल्लेख नहीं है।

(13) नगर पंचायत पेण्ड्रा में शासन के मापदण्ड के अनुसार स्वीपर की संख्या बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(14) नगर पंचायत/पालिका अध्यक्ष को सी.आर. लिखने का अधिकार वापस करने का उल्लेख नहीं है।

(15) नगर पंचायत/पालिका अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार वापस करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिलासपुर शहर के गोल बाजार के पास मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) लोरमी नगर के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में जिला मुंगेली में वृहद सामुदायिक भवन बनाने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम गोंडखम्ही विकासखण्ड लोरमी जिला मुंगेली को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगर पंचायत जैजैपुर में हाट बाजार एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) नगर पंचायत जैजैपुर में बस स्टेण्ड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार शहर में गाडेन चौक में सौदर्यीकरण हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।

(2) तिल्दा-नेवरा शहर में सौंदर्यीकरण हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।

(3) तिल्दा नेवरा में वार्ड क्रमांक 21 बन्नुबाई तालाब में छठ पूजा घाट पचरी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम टण्डवा विकासखण्ड तिल्दा को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के साईंस कॉलेज से सब्जी मंडी तक रोड का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 45 चिगराजपारा स्थित पुराना व नया तालाब सौंदर्यीकरण व उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 50 जोरापारा तालाब के सौंदर्यीकरण व उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 47 व राजकिशोर क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत पाईप लाईन विस्तार का उल्लेख नहीं है।

(5) बेलतरा विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 49 सोनगंगा कालोनी, अशोक नगर, विजयापुरम में सी.सी. रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) बेलतरा विधानसभा के नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 51 में 500 मीटर सी.सी. रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण

मतदेय राशि **रूपये– 9,46,23,77,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –30

1. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रापर्टी टैक्स आधा करने (प्रचलित दर पर) कोई योजना/राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा में अकलतरा नगर के लिये पेयजल संकट के निदान के लिये जल आवर्धन योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये– 16,45,13,64,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

एक महिला एक पुरूष दिव्यांग को पंचायतों में नगरीय निकायों में एवं मनोनीत करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरीय क्षेत्र के शिक्षाकर्मियों को सही समय पर वेतन मिलने का उल्लेख नहीं है।

(2) नगरीय निकायों को भी पैसे का आबंटन सही समय नहीं होता है परिणाम स्वरूप बहुत सी दुर्घटनाएं होती है के उपाय का उल्लेख नहीं है।

(3) जलापूर्ति के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) नगरीय निकायों को देय राशि (गौण खनिज) में हो रहे भ्रष्ट्राचार को राकने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिमगा नगर में पर्याप्त नगर विकास हेतु वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख नहीं है।

(2) नगरीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता का उल्लेख नहीं है।

(3) जलापूर्ति के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) नगरीय निकायों को देय राशि (गौण खनिज) में हो रहे भ्रष्ट्राचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोरमी नगर पंचायत जिला मुंगेली में उच्च स्तरीय पुस्तकालय को प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति एवं वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 18

श्रम

मतदेय राशि **रूपये– 2,04,72,70,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –16

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ में श्रम कानूनों में सुधार का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) क्षेत्र में बाल श्रमिक विद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) बाल श्रमिकों को कल्याण की योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजर जिला बलौदाबाजार स्थित अनेकों सीमेंट प्लाट है फिर भी श्रमिकों को सीमेंट श्रमिक दर अप्राप्त है, इन्हे सही भुगतान दिलाने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

4. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

श्रमिकों के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

श्रम हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

6. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के बाहर पलायन करने वालों मजदूरों को काम एवं प्रदेश में रोकने का कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के मजदूरों के हाथ में काम देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 10,72,85,80,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 39

1. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन वितरण की उचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शारीरिक रूप से निःशक्तों को पेंशन राशि घर पहुंचाकर देने का उल्लेख नहीं है।

(2) दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(3) शासकीय नौकरी में दिव्यांगजनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का उल्लेख नहीं है।

(4) मरवाही, पेन्ड्रा गौरेला के बहु उद्देशीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(5) गरीबी रेखा सर्वे से छूटे हुए विकलांगों विधवाओं को पेंशन राशि देने के उपाय का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के निःशक्तजन एवं दिव्यांगों को गोद लेकर शासन उनकी आजीविका सम्मानपूर्वक गुजारने हेतु भत्ता बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के निःशक्तजनों को शासकीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के समस्त दिव्यांगजनों को 35 किलोग्राम चांवल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(9) अपंग एवं विकलांग युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(10) 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को एक हजार रूपये एवं 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को डेढ़ हजार रूपये पेंशन दिये जाने के किए गए वायदे को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोरमी विकासखंड जिला मुंगेली के पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को अप्राप्त 12 माह के पेंशन को प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(2) दिव्यांगजनों को मोटर चलित ट्रायसायकिल प्रदान करने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बुजुर्गो को तीर्थयात्रा की व्यवस्था हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) सर्व वृद्धा पेंशन योजना के उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) निराश्रित पेंशन सामाजिक सुरक्षा, विधवा विकलांग पेंशन बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(2) जन घोषणा पत्र में किए गये घोषणा के अनुसार मितानिनों का नियमितीकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) जनघोषणा पत्र के वायदे के अनुसार महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफी किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) जनघोषणा पत्र के वायदे के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साहिकाओं के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

(5) महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु कारगर उपयों का उल्लेख नहीं है।

(6) गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक पोषण आहार निःशुल्क देने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(7) कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त कर सुपोषित करने हेतु समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश को कुपोषण से मुक्ति के लिए ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में सर्व विधवा पेंशन योजना के उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(2) महिला स्वसहायता समूहों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में आंगनबाड़ियों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में महिला सुरक्षा हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 34

समाज कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 87,71,79,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 26

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के वृद्धजनों को सर्व वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश की विधवाओं को सर्व विधवा पेंशन योजना का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को जो राशि प्रदान की जाती है उसका भौतिक एवं वित्तीयसत्यापन किए जाने का उल्लेख नहींहै।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मरवाही क्षेत्र में प्रस्तावित नए आंगनबाड़ी को प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) महिला स्व–सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) महिला स्व सहायता समूह को जन घोषणा पत्र अनुसार कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(5) बच्चों के कुपोषण दर को कम करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(6) आंगनबाड़ी कार्यकताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(7) जर्जर एवं भवन विहीन आंगनबाड़ी के स्थान पर नये आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(8) महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों को बाजार में बेचने के लिए प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है।

(9) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के नियमतिकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) आबादी के अनुपात में नये आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) कुपोषण से मुक्ति के लिये ठोस कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(12) आंगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्तायुक्त रेडी टू ईट एवं ताजा स्वच्छ भोजन वितरण प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(13) अमृत दूध योजना के उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(14) विधवा महिलाओं को एक हजार रूपये पेंशन देने के वायदे को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए 211 करोड रूपये के बंदरबाट एवं लूटखसोट को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण एवं वेतनवृद्धि हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 22,12,60,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रायपुर जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(2) कृषि भूमि अधिग्रहण पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) नया जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

(5) पलायन रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(6) कोटवारों एवं ग्राम पटेल के मानदेय वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शासकीय मुद्रणालय के मुद्रण की खराब क्वालिटी एवं खराब पेपर का उपयोग किया जा रहा है जिसके संबंध में का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही को मिलाकर नये जिले के निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(2) मनेन्द्रगढ़ –चिरमिरी को मिलाकर नया जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

(3) गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

(4) सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गठन का किसानों को नुकसान से रोकने का उल्लेख नहीं है।

(5) मरवाही में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(6) गौरेला से करगंग मार्ग में अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि का मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के आय, जाति निवास प्रमाण पत्र जल्दी बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

(8) बसरा, नक्शा, फौती का निपटारा समय–सीमा में नहीं करने वाले पटवारियों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

(9) रेत का विक्रय दर तय करने का उल्लेख नहीं है।

(10) बड़े शहरों में रेत माफियों के कब्जे में रेत खदान है जिसके कारण रेत मंहगी दर पर खरीदना पड़ता है, जिसपर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

(11) कृषि भूमि का बाजार मूल्य डायवर्टेड भूमि के बाजार मूल्य के समान करने का उल्लेख नहीं है।

(12) मरवाही, पेण्ड्रा, गौरेला क्षेत्र में किसानों की बकाया सूखा राहत राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(13) भुईयां साफ्टवेयर की विसंगतियों को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

(14) लोक सेवा केन्द्र संचालकों द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसके नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

(15) भू–नक्शा कम्प्यूटरीकृत करने की समयसीमा तय करने का उल्लेख नहीं है।

(16) पटवारियो की कमी दूर करने का उल्लेख नहीं है।

(17) राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने का उल्लेख नहीं है।

(18) सड़क एवं रेल लाईन निर्माण में बेघर हो रहे लोगों को मुआवजा राशि के साथ आवास बनाकर देने का उल्लेख नहीं है।

(19) ब्लॉक पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अभिलेखागार (राजस्व) के लिये आवंटित राशि का उपयोग करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भूमि अधिग्रहण पर कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।

(2) भूमिहीन परिवारों को पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कोटा एवं गौरेला तहसील क्षेत्र के गांवों में पटवारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(2) पेण्ड्रा–गौरेला–मरवाही विकासखण्ड को मिलाकर नया जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में कार्यरत कोटवारों के नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मजदूरों के पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–लालपुर, थाना तहसील– लोरमी में उप तहसील प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(3) वर्ष 1997 से आवंटित नजूल की भूमि का नवीनीकरण नहीं हुआ है, बिलासपुर शहर भूमि का नवीनकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम–खुड़िया, विकासखंड–लोरमी, जिला–मुंगेली जो सिंचाई ग्राम है उसे राजस्व ग्राम घोषित करने का उल्लेख नहीं है।

(5) लोरमी तहसील, जिला–मुंगेली में अतिरिक्त कलेक्टर का नया कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खैरागढ़ को नया जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार जिला के सुहेला को तहसील का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 8

भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन

मतदेय राशि **रूपये 9,93,35,55,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बंदोबस्त त्रुटियों के सुधार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) राजस्व न्यायालय/बोर्ड के फास्ट ट्रेक कोर्ट के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 35

पुनर्वास

मतदेय राशि **रूपये 2,35,84,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 28

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पुनर्वास नीति बनाने और पुनर्वासित लोगों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मतदेय राशि **रूपये 6,36,20,49,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बाढ़ग्रस्त किसानों के छतिग्रस्त हुए मकानों के लिये सहायता राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

   (2) असमय हुई बारिश से किसानों को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   स्ट्रीट वेंडर एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये प्राकृतिक आपदा राहत/क्षति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   लोरमी तहसील, जिला–मुंगेली के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की ली गई कृषि भूमि का मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 20

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मतदेय राशि **रूपये 6,37,44,78,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 34

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत सिरगिट्टी में नलजल योजना प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत सरगांव में नलजल योजना विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत बिल्हा में नलजल योजना विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के नगरीय निकाय नगरपालिका तिफरा में नलजल योजना विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरतोरी में नलजल योजना विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सभी जल प्रदाय योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति हासिल करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मरवाही विधान सभा क्षेत्र में अभ्रक एवं लौह मिश्रित जल को पेयजल बनाने का उल्लेख नहीं है।

(2) पेयजल संकट तथा गिरते जलस्तर के स्थान पर जल आवर्धन योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(3) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में पेयजल का संकट है वहां पेयजल की स्थाई व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।

(4) उत्तर मरवाही में पेयजल एवं निस्तारी जल के इंतजाम करने का उल्लेख नहीं है।

(5) भूजल स्तर में तेजी से आ रही गिरावट पर रोकथाम लगाने एवं भूजल स्तर बढ़ाने के ठोस उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(6) सभी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना का उल्लेख नहीं है।

(7) पेयजल आपूर्ति सुलभ करने प्रत्येक गांव में बहुपयोगी हेण्डपम्प में सबमर्सिबल पम्प लगाने का उल्लेख नहीं है।

(8) पांच हजार की आबादी वाले ग्राम बचरवार (पेण्ड्रा) में ढाई लाख लीटर क्षमता का ओव्हर हेड टेंक बनाने का उल्लेख नहीं है।

(9) नलजल योजनांतर्गत पुराने टूटे–फूटे पाईप लाइन बदलने का उल्लेख नहीं है।

(10) नलजल योजना अधिकारिक गांवों में लागू करने का उल्लेख नहीं है।

(11) भूजल संरक्षण एवं संवर्धन करने का उल्लेख नहीं है।

(12) स्कूली बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(13) बीपीएल ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल आपूर्ति के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(14) ग्राम सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोरमी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 एवं वार्ड क्रमांक 15 में पेयजल हेतु उच्च स्तरीय पानी टंकी के निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम बैगाकाया, विकासखंड लोरमी, जिला मुंगेली में नलजल योजना एवं पानी टंकी के स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कोटा विकासखंड की ग्राम पंचायत करवा में अनुसूचित जाति मोहल्ला में पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(2) कोटा विकासखंड की ग्राम पंचायत लूफा में अनुसूचित जाति मोहल्ला में पेयजल संकट है, पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(3) कोटा एवं गौरेला ब्लाक के गांवों में गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने नये हेण्डपम्प उत्खनन कराने का उल्लेख नहीं है।

(4) कोटा एवं गौरेला ब्लाक के सभी गांवों में सर्वाधिक उपयोग में लाये जाने वाले एक–एक हेण्डपम्प में सबमर्सिबल पम्प लगाकर ग्रामीणों को पेयजल की सहज सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(5) एक हजार से अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों में नलजल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भाटापारा के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आवर्धन का उल्लेख नहीं है।

(2) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पंचायत जैजैपुर में पेयजल समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–तिहराबाधा विकासखंड सिमगा में पेयजल संकट के निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के रायपुर जिला अंतर्गत ग्राम रजिया में पेयजल व्यवस्था हेतु जल आवर्धन योजना के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पेयजल के परम्परागत स्त्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम मोंगरागहन, जोगीडीह, बागोडोर, भोयना, तेंदूकोन्हा, बरारी, अमलीडीह एवं मोखा में पेयजल संकट से निपटने की कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 56
ग्रामोद्योग

मतदेय राशि **रूपये 1,17,01,18,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 48

1. **श्री पुन्नूलाल मोहले : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्रामोद्योग विभाग में ईलाज हेतु छोटे उपभोक्ताओं के लिये 25 प्रतिशत अनुदान के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   खादी के प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग एवं रेशमकीट पालन हेतु प्रशिक्षण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मतदेय राशि **रूपये 3,98,21,30,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 42

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित व्यय के उचित एवं औचित्यपूर्ण उपयोग का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

व्ही.टी.पी. को भुगतान एवं न होने एवं प्लेसमेंट की जांच का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं युवा स्वरोजगार योजना के प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में आई.टी. पार्क स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(5) मेक इन इंडिया के तहत रोजगार विनिर्माण करने वाली इकाइयों की स्थापना एवं प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है।

(6) कोसा बुनकरों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(7) मिट्टी बॉंस मेटल इत्यादि निर्मित उत्पादों हेतु बजट उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश में पलायन रोकने हेतु रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(9) बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(10) कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(11) आई.टी.आई. में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(12) मरवाही में संचालित आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(13) विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले शोधार्थियों को कम से कम एक प्रोजेक्ट पर राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विभाग के जिला रोजगार एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्रों में व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्य हेतु बजट प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(2) आई.टी.आई. पेण्ड्रा में रिक्त पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(3) आई.टी.आई. पेण्ड्रा में व्यवसायिक ट्रेड विस्तार का उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोरमी विकासखंड जिला मुंगेली में लाइवली हुड कॉलेज खोलने हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(2) जिला मुंगेली के विकासखंड लोरमी स्थित ग्राम सारधा स्थित आई.टी.आई. में 5 ट्रेड खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) क्षेत्र में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद सीमेंट टेक्नालॉजी के कोर्स संचालित करने हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा में अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) तिल्दा–नेवरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने हेतु उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विकलांग वर्ग के लिए राशि बढ़ाने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के युवाओं को नव रोजगार सृजन हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 44

उच्च भिक्षा

मतदेय राशि **रूपये 7,41,42,80,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 38

1. श्री धरमलाल कौशिक , नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत ग्राम सकेत में महाविद्यालय खोलने हेतु उल्लेख नहीं है।

(2) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत बोदरी में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लक्ष्यों के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जनभागीदारी के माध्यम से कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(2) महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का उल्लेख नहीं है।

(3) महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उल्लेख नहीं है।

(4) शासकीय महाविद्यालय मरवाही में नवीन संकाय खोलने एवं रिक्त पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(5) कोटमी में महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सिमगा महाविद्यालय में नवीन संकाय एवं कक्षाओं के विस्तारीकरण का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय महाविद्यालय पेण्ड्रा में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती/पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।

(2) शासकीय महाविद्यालय पेण्ड्रा में विभागीय लापरवाही से वर्ष 2018–19 से विलंबित रसायन शास्त्र एवं गणित विषय की एम.एस.सी की कक्षा प्रारंभ कर सुचारू शिक्षा प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) फिजिकल कॉलेज पेण्ड्रा में कन्या छात्रावास बनाने का उल्लेख नहीं है।

(4) फिजिकल कॉलेज पेण्ड्रा हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला मुंगेली के विकासखंड लोरमी स्थित ग्राम डिडौरी (गोंडखाम्ही के पास) नया शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(2) राजीव गांधी शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी में प्रथम तल में नये भवन निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(3) जिला मुंगेली के विकासखंड लोरमी अंतर्गत ग्राम लालपुर में नया शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

7. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड के ग्राम नरीयरा में महाविद्यालय खोलने हेतु उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड के ग्राम पहरीया में महाविद्यालय खोलने हेतु उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा स्थित डा. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छुई खदान कॉलेज में एम.एस.सी एवं एम कॉम की कक्षाएं प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधानसभा के बेलतरा में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुहेला में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में महिला सुरक्षा हेतु छात्राओं को कराते प्रशिक्षण प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा स्थित डा. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) शासकीय दाऊ कल्याण महाविद्यालय बलौदाबाजार में लोकप्रशासन, इतिहास, जीव विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार में बाउन्ड्रीवाल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) तिल्दा नेवरा शहर में युवा लोगों के लिए व्यायाम शाला प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(7) बलौदाबाजार थाना के ग्राम हथबंद में महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(8) बलौदाबाजार में दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय के केंटिन निर्माण हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

11. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर के ग्राम बम्हनीडीह, भोथिया, कुरदा, छपोरा एवं नरियरा में महाविद्यालय प्रांरभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय महाविद्यालय धमतरी में समाजशास्त्र, अंग्रेजी एवं बॉटनी की स्नातकोत्तर कक्षा प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) शासकीय कन्या महाविद्यालय धमतरी में किसी भी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा प्रारंभ किए जाने हेतु प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) गौरव ग्राम कंडेल में कॉलेज खोलने हेतु उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 46
विज्ञान और टेक्नालॉजी

मतदेय राशि **रूपये 22,10,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 42

1. **श्री अजय चन्द्राकर , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पर्यावरणीय अनुसंधान हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बायोडीजल उत्पादन हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के विकास हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं हैं।

   (3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जनोपयोगी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (4) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 43

खेल और युवक कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 53,38,50,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 9

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिल्हा विधानसभा के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत ग्राम गुमा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत बिल्हा विकासखंड में ग्राम पटपर में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बिल्हा अंतर्गत ग्राम दगौरी में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बिल्हा अंतर्गत ग्राम बरतोरी में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया अंतर्गत ग्राम डाकाचार में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया अंतर्गत ग्राम सिलदहा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया अंतर्गत ग्राम नगपुरा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(8) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया अंतर्गत ग्राम साबा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया अंतर्गत ग्राम पडियाईन में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया अंतर्गत ग्राम मदकू में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी वार्ड, भाठागांव, रायपुर में इंडोर/आउटडोर स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) खेल सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अशिक्षितों के खेल उत्थान हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में निर्मित स्टेडियम एवं अन्य परिसंपत्तियों के रख रखाव का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम निर्माण कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम लालपुर में मिनी स्टेडियम बनाए जाने हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश प्रत्येक ग्रामों में एक खेल मैदान बनाने का उल्लेख नहीं है।

(5) फिजिकल कॉलेज पेण्ड्रा के मैदान को बड़े स्टेडियम के रूप निर्मित करने का उल्लेख नहीं हैं।

(6) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर खेले खिलाडियों को नौकरी देने का उल्लेख नहीं है।

(7) राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का उल्लेख नहीं है।

(8) खिलाडियों को प्रोत्साहित करने का बजट में प्रावधान नहीं है।

(9) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को तैयार करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश में खेलों के समुचित विकास का उल्लेख नहीं है।

(11) बिलासपुर जिले के विकासखंड पेण्ड्रा के ग्राम सकोला के आदिवासी छात्राओं को जिमनास्टिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भाटापारा में राष्ट्रीय खेल कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) फिजिकल कॉलेज मैदान पेण्ड्रा में सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) मल्टीपरपज खेल मैदान को स्टेडियम बनाने का उल्लेख नहीं है।

(3) अन्तार्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन हेतु मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(5) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी तैयार करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गांवों में खेलकूद एवं युवा कल्याण एवं खेल मैदान तथा खिलाडियों की सहायता के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पंचायत जैजैपुर में स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च मानक व्यवस्था प्रतिभाओं को प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 1

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि **रूपये 3,72,12,13,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –1

1. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) समयमान वेतन वृद्धि करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) वर्ग 4, 3, 2, 1 सभी वर्गों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का प्रावधान नहीं है।

(3) बेरोजगारी दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(4) घर–घर रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(5) बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(6) द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का अभाव है भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(8) कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के कुम्हार ब्रिक्स बनाने वालों को प्रोत्साहित कर स्थानीय मजदूरों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्थानीय बेरोजगारों को शासकीय एवं निजी क्षेत्र में नौकरी देने के लिये आउटसोर्सिंग नीति बंद करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुसार युवा बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रूपये प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(2) आउट सोर्सिंग बंद करने का प्रावधान नहीं है।

(3) प्रदेश में नये रोजगार सृजन करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(4) बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रूपये प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(5) घर–घर रोजगार, हर घर रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(6) होम स्टेड अधिनियम का उल्लेख नहीं है।

(7) शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(8) लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के 25 लाख शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अन्य सामाजिक सेवाओं हेतु पर्याप्त आवंटन करने का उल्लेख नहीं है।

(2) एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के राजनीतिक इस्तमाल पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 2

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि	रूपये **30,58,35,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 1

कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 6
वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 85,76,65,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 4

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सकल वित्तीय घाटा कम करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(2) राष्ट्रीय जी.डी.पी. ग्रोथ के अनुपात में बहुत पीछे चल रहे राज्य के जी.पी.डी. ग्रोथ को समतुल्य लाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का उल्लेख नहीं है।

(2) लिबोर दर पर लिये जा रहे कर्ज की अदायगी डॉलर में करना प्रदेश हित में नहीं जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर नियम अनुसार भत्ता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) चिटफंड कम्पनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में राजस्व व्यय के लिये जाने वाले ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अभिलेखागार के भवन के लिये कोई पूंजीगत प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या – 60

जिला परियोजनाओं से संबधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 1,04,80,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला स्तर पर किसी भी योजनाओं के तहत् निर्माण नहीं हो रहा है, निर्माण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या –12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 23,07,01,81,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –13

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत दरोगी में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(2) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम सिलतरा में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(3) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम मुन्दादेवरी में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम बदरा 'ब' में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

2. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिजली बिल में उपभोक्ताओं को आधा माफ करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर चांपा में बलौदा नगर में 132 के.व्ही. का सब स्टेशन निर्माण के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पुराने बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।

(2) सिंचाई पम्प हेतु किसानों के लिये विद्युत लाईन विस्तार की राशि (अनुदान राशि) में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(3) अघोषित बिजली कटौती पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

(4) मुख्यमंत्री एल.ई.डी. बल्ब गारंटी पीरियेड में वापसी नहीं होने पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

(5) किसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का उल्लेख नहीं है।

(6) टी.सी. कनेक्शन को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(7) किसानों का बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।

(8) एकल बत्ती कनेक्शनधारी का बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।

(9) सिंचाई हेतु टी.सी. कनेक्शनधारी किसान को भी 5 हॉर्सपावर तक मुफ्त बिजली देने का उल्लेख नहीं है।

(10) विद्युत उत्पादन बढ़ोत्तरी के उपाय का उल्लेख नहीं है।

(11) ग्रामों में सघन सर्वे करने खपत अनुसार उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाकर लो वोल्टेज समस्या दूर करने का उल्लेख नहीं है।

(12) मरवाही क्षेत्र में 33/11 के.व्ही. के नये सब स्टेशन खोलने का उल्लेख नहीं है।

(13) बिजली बिल हाफ करने के लिये 400 यूनिट खपत की शर्त रख दी गई है जबकि जन घोषणा पत्र में सभी का बिजली बिल हाफ करने का वायदा किया था जिसको पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) किसानों के सिंचाई हेतु ट्रांसफार्मरों के बढ़ते दाम को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(2) बिजली बिल आधा करने का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिंचाई कार्य हेतु टी.सी. कनेक्शन लेने वाले किसानों का नियमित कनेक्शन का उल्लेख नहीं है।

(2) जिन बैगा बाहुल्य गांवों में सोलर ऊर्जा से रोशनी मिल रही है उन गांवों में बिजली पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों को लो व्होल्टेज की समस्या से निजात दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(4) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारगार उपाय का उल्लेख नहीं है।

(5) जनघोषणा पत्र में सभी उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा का वायदा किया गया था लेकिन सिर्फ 400 यूनिट का खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल आधा करने की घोषणा का उल्लेख नहीं है।

(6) वर्तमान में विद्युत विहिन ग्रामों में विद्युत पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।

(7) ग्राम कुरदर, उमरिया, विधानसभा क्षेत्र कोटा बैगा आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य है वहां विद्युतीकरण का उल्लेख नहीं है।

7. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सबका बिजली बिल आधा किया जायेगा का उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लो वोल्टेज समस्या से निजात हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के बड़े ग्रामों के प्रमुख स्थलों पर स्ट्रीट लाईट व्यवस्था प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्त्रोतों के विकास और संवर्धन के लिये कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

(2) सभी क्षमता के पंप कनेक्शनों को निःशुल्क बिजली प्रदाय हेतु उल्लेख नहीं है।

10. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राज्य के कई गांव, घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है किन्तु बजट में उल्लेख नहीं है।

(2) बिजली बिल आधा करने की छूट सिर्फ 400 यूनिट के देयक तक शिथिल रखी गई है इससे अधिक यूनिट के देयकों का छूट देने का उल्लेख नहीं है।

(3) बिजली पारेषण में क्षय रोकने एवं बिजली चोरी को रोकने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 25
खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 7,25,55,02,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –12

1. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सोना, हीरा, अलेक्जेंड्राईट सहित कीमती धातुओं के अवैध उत्खनन को रोके जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) खनिज उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(3) खनिज न्यास मद की राशि के समुचित रूप से विकास कार्यों में लगाये जाने का उल्लेख नहीं है ।

(4) छोटे खनिज पट्टे स्थानीय निवासियों को देकर रोजगार बढ़ाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(5) कोयला ब्लॉक नीलामी से प्राप्त राशि किस कार्यों में खर्च की जा रही है इसका उल्लेख नहीं है।

(6) अंतर्राज्यीय रेत अवैध परिवहन रोकने का उल्लेख नहीं है।

(7) मरवाही विधान सभा क्षेत्र में रेत खदान लीज पर देने का उल्लेख नहीं है ।

(8) जिन ग्रामों से खनिज राशि प्राप्त होती है उन ग्रामों के विकास की योजना का उल्लेख नहीं है।

(9) खनिज से प्राप्त राशि को संबंधित गांवों में खर्च करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खनिज साधन के संबंधित वित्त का प्रावधान नहीं है।

3. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पाये जाने वाले सभी प्रकार के खनिजों का उचित दोहन कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का उल्लेख नहीं है ।

4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिलासपुर जिले के रेत के अवैध उत्खनन को रोकने का उल्लेख नहीं हैं।

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खनिजों के अन्वेषण विकास के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) गौण खनिजों की राशि का संबंधित क्षेत्र में उपयोग किये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में क्रेशर पत्थर खदान, चूना भट्ठी से प्रदूषण को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(2) विधान सभा जैजैपुर के छितापड़रिया में 500 एकड़ वन भूमि में खदान प्रस्तावित है जिसे निरस्त करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 1,86,82,95,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –24

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में संचार क्रांति का लाभ आम लोगों को दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मतदेय राशि **रूपये 1,28,99,98,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –43

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जनसंपर्क विभाग का राजनैतिक इस्तेमाल किये जाने से रोकने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 65

विमानन विभाग

मतदेय राशि **रूपये 67,94,40,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 44

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने एवं छोटे विमानतल जिलों में बनाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने एवं हवाई अड्डे के निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   रीजिनल कनेक्टिविटी योजना क्रियांवित करने का उल्लेख नहीं है ।